

छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय,  
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर - 492001

कमांक 1966 / एफ-6-3 / 09 / 34-2 / 02  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 12/12/2009

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय:- सी.एस.आई.डी.सी. से सामग्री कय करने हेतु कार्य विभागों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों का निर्धारण।

-000-

- संदर्भ:-
1. छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के यू.ओ. क. 461 / वि / नि / चार / 09 / दिनांक 27.11.2009.
  2. आपका पत्र क. 4255 / तशा / प्र.अ. / 09, दिनांक 28.7.09

विषयांतर्गत आपके संर्भित पत्र प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित यू.ओ. टीप निम्नानुसार है:-

“ विषयांतर्गत लेख है कि कार्य विभाग मैनुअल के बिन्दु कमांक 2.091 (2) के अनुसार “फार्म सी” मात्र उस दशा में उपयोग किया जाना चाहिए जब सामग्री की पूर्ति करना हो। अतः स्पष्ट है कि उक्त प्रत्यायोजन का उपयोग कार्य हेतु सामग्री का कय भण्डार कय नियम से किया जाता है एवं Reserved Item का कय C.S.I.D.C. के माध्यम से किया जाना भण्डार कय नियम के अनुसार अनिवार्य है।

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रत्यायोजन सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से किये जाने वाले कय हेतु भी समान रूप से लागू है। अतः अलग से प्रत्यायोजन की आवश्यकता नहीं है।”  
कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

*Recep*

(दिनेश श्रीवास्तव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग